

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

पक्षकारों एवं अभिभाषक
आदि के हस्ताक्षर

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3612/तीन/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.8.2013

- पारित-अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर-प्र. क. 131/09-10 निगरानी

श्रीमती आनन्दी पत्नि गोपी
ग्राम कालामढ तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

—आवेदिका

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- 2- ताराचंद पुत्र परसादी ग्राम कालामढ
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी


—अनावेदकगण

आवेदिका के अभिभाषक श्री जी.पी.नायक
अनावेदक क-1 के पेनल लायर श्री डी.के.शुक्ला
अनावेदक 2 के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 9-4-2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 131/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-8-2013 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।
2/ प्रकरण का सारोँश यह है कि तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 61/1999-2000 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 से ग्राम कालामढ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 8981 के मिन रकबा करके कुल 7 भूमिहीन कमराजमील पुत्र नरंगी मुसलमान को 0.40 है., राजकुमार वल्द वद्री ओझा को 0.40 है., श्रीमती रामसखी पत्नि रामवावू वर्मा को 0.8. है., श्रीमती आनन्दी को 0.40 है., लक्ष्मण बल्द बाबूलाल रावत को 0.40 है., श्रीमती लाली पत्नि चरणसिंह राव को 0.40 है., श्रीमती किरण पत्नि दिनेश को 0.40 है.) भूमि का आवंटन किया, जिसमें से आवेदिका को मि0 रकबा 0.40 हेक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि



सम्बोधित किया जावेगा) का पट्टा प्रदान कर मौके पर कब्जा दिया गया। पट्टाग्रहीताओं ने अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उन्हें वादग्रस्त भूमि का पट्टा स्वीकृत है एवं पट्टा प्राप्ति दिनांक से पट्टा भूमि पर काविज होकर मौके पर कृषि कर रहे हैं किन्तु पट्टे का अमल शासकीय अभिलेख में छूट गया है इसलिये ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/ठहराव अनुसार अमल कराया जावे। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 173/2008-09 बी 121 पंजीबद्ध किया एवं सुनवाई / जांच उपरांत आदेश दिनांक 24-7-09 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.12.2000 का अमल खसरे में किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक-2 ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष मात्र आवेदिका के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 131/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-8-2013 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के आदेश दिनांक 14.7.09 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदिका एवं अनावेदकगण के अभिभाषकों को बहस में सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानीकर्ता(अनावेदक क-2)तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/1988-89 अ 19 में एवं अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रकरण क्रमांक 165/2008-09 बी 121 में हितबद्ध पक्षकार नहीं है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 50 - निगरानी का हक - ऐसे व्यक्ति को निगरानी का हक प्राप्त नहीं, जो विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 50 - दुखी पक्षकार को बताना होगा कि वह आदेश से किस प्रकार दुखी है और उसके हित पर आदेश से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शपथपत्र भी देना होगा।



अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अनावेदक क्रमांक-2 ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन नहीं दिया है और किस आधार पर वह हितबद्ध पक्षकार है - बताते हुये पक्षकार बनाये जाने का अनुमति आवेदन एवं शपथ पत्र भी नहीं दिया है इसके वाद भी अपर आयुक्त द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करके अंतिम आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

5/ आवेदिका के अभिभाषक ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पोहरी द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 28 ए/2009 ई0दी0 (रामकुमार एवं अन्य दो विरुद्ध जमील शाह एवं ताराचंद) में पारित आदेश दिनांक 31.3.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 3 म0प्र0राज्य कलेक्टर पक्षकार है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण में संलग्न है। माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पोहरी के आदेश दिनांक 31-3-2010 के अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/99-2000 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 के पट्टाग्रहीताओं को बैध भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 सहपठित 115,116 - व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिक्री - राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 - व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिक्री - राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने से तदाशय के नामान्तरण का अमल शासकीय अभिलेख में किया जावेगा।

किंतु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।


6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि वर्ष 2000 से पट्टा प्राप्ति उपरांत आवेदिका ने महिला होते हुये उखड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाने, मेढों पर बंधान बनाने में एवं सिंचाई का साधन करने में तथा रखवाली

Ommanwar

हेतु खेत पर मकान बना लेने में काफी धन एवं श्रम खर्च किया है आवेदिका महिला है एवं बच्चों के जीवनयापन का मात्र यही कृषि भूमि साधन है।

यदि आवेदिका के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया जावे, प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का पट्टा तहसीलदार ने दिनांक 30.12.2000 को दिया है और 30.12.2000 के 13 वर्ष बाद भूमि पुनः शासकीय अभिलेख में शासन की लिखना वर्तमान आवेदिका की आजीविका को प्रभावित करेगा और इतनी लम्बी अवधि बाद आवेदिका को प्राप्त पट्टे का अमल शासकीय अभिलेख से हटाना न्यायहित में उचित नहीं माना जावेगा, किन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने इन तथ्यों की अनदेखी की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 131/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-8-2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किय जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा प्रकरण कमांक 173/08-09 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 24-7-09 से आवेदिका के नाम का शासकीय अभिलेख में किया गया अमल यथावत् रहता है।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर